न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :– हेमराज गुर्जर (आरएएस)

प्रकरण सख्या:–105/2022 दायर दिनांक:–03.06.2022

जीसीएमएस नं. 2022/270

1. रूपनारायण पुत्र भीकमचंद उम्र 65 साल जाति ब्राहम्ण निवासी बरगंमा हालवासी दहीखेडा वाया लाखेरी जिला बूंदी
2. सुभाषचंद पुत्र भीकमचंद उम्र 60 साल जाति ब्राहम्ण निवासी बरगंमा तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली।

–––––––सायलान–02

बनाम

1. कलुवाराम पुत्र भीकमचंद उम्र 60 साल जाति ब्राहम्ण निवासी बरगंमा तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली राज0
2. गेपाललाल पुत्र भीकमचंद उम्र 45 साल जाति ब्राहम्ण निवासी बरगंमा तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली।
3. जगमोहन जाटव पुत्र रामसहाय उम्र 40 साल जाति जाटव निवासी बरगंमा तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली।
4. बिरजु पुत्र रामसहाय उम्र 40 साल जाति जाटव निवासी बरगंमा तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली।
5. तहसीलदार/उपपंजीयक तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली।

––गैरसायलान–04

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित –1.श्री नरेन्द्र सिंह जादौन सायलान

2. गैरसायलान 1 ता 5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही

निर्णय

दिनांक

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि सायलान व गैरसायलान 1,2 व दावे की प्रतिवादिया सं. 3 ता 6 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी हाल खाता संख्या 566 खसरा न0 2455 रकबा 0.17 है0, 2465 रकबा 0.52 है0 2484 रकबा 0.26 है0, 2485 रकबा 0.07 है., 2486 रकबा 0.35 है0, 2488/3024 रकबा 0.28 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 1.65 है0 वाके ग्राम बरगंमा तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली में स्थित है जिसमें सायलान एवं गेरसायलान सं. 1,2 व दावे की प्रतिवादिया सं. [illegible] राजस्व रिकॉर्ड है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.07 15:43:12 IST
Reason: SelfAttested

आराजी मुतजिक्रा मद न0 2 प्रार्थना पत्र सायलान एवं [illegible]ायलान 1,2 व दावे की [illegible]या सं 3 ता 6 को अपने परिवार के बुजुर्ग/पिता स्व. भीकम उर्फ भीकमचंद शर्मा से विरासत में प्राप्त हई है, सायलान एवं गैरसायलान सं. 1,2 व दावे की प्रतिवादिया सं. 3 ता 6 के परिवार, जाति, समाज व गांव में प्रचलित परम्पराओं के अनुसार श्री भीकम उर्फ भीकमचंद शर्मा के

देहावसान के पश्चात दिनांक 05.10.2003 को आराजी मुतजिक्रा मद न0 2 प्रार्थना पत्र के संबंध में सायलान, गैरसायालन 1 व 2 तथा दावे की प्रतिवादिया सं 3 ता 6 एवं उनके पतियों व अन्य रिश्तेदारों की मौजूदगी में मौके पर बाहमी बंटवारा किया गया, जिसमें वादी लालनारायण एव गैरसायल कलुवा को आराजी मुतजिक्रा मद न0 2 प्रार्थना पत्र में से हैला वारे खेत खसरा न. 2465, डाब वाली दरी खेत खसरा न0 2455 को श्री भीकम उर्फ भीकमचंद शर्मा के दाग की जगह को छोडकर शेष आराजी कब्जे, हक अधिकारी में दी जाकर सुपुर्द की गई, शेष आराजी को वादी सुभाष एवं गैरसायल न0 2 गोपाल को कब्जे, हक अधिकार में दी गई। उक्त बाहमी बटवारे से दावे की प्रतिवादिया स. 3 ता 6 सहमत रही। लेकिन श्री भीकम उर्फ भीकमचंद शर्मा के दहावसान के पश्चात सायलान का हिस्सा उक्त आराजी में 1/2 के स्थान पर 2/8 एवं गैरसायल सं. 1,2 व दावे की प्रतिवादिया सं. 3 ता 6 का हिस्सा क्रमशः –1/8– 1/8 दर्ज राजस्व रिकार्ड हो गया है। लेकिन मौके पर उक्त आराजी को बाहमी बंटवारे दिनांक 05.10.2023 के अनुरूप सायलान व गैरसायलान न0 1 व 2 लगातार काबिज व दखील रहकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है।

सायलान में से सायल सं. 1 अपने रोजगार के कारण परिवार सहित जिला बुंदी में रहता है एवं सायल सं. 2 अपनी सर्विस के कारण तिरूपति नगर, हिण्डौन सिटी में निवास करता है। गैरसायलान 1 व 2 गांव में ही निवास करते है। जिनके द्वारा आराजी मुतजिक्रा मद न0 2 प्रार्थना पत्र का सायलान के कई बार निवेदन करने के बावजूद आपसी सहमति से कोई विधिवत बंटवारा नहीं करवाया जा रहा है। गैरसायल सं. 1 व 2 द्वारा आराजी मुतजिक्रा मद न0 2 प्रार्थना पत्र में भूमि खसरा न0 2465 की भूमि के कुछ स्पेसिफिक भाग को बैगर भूमि संपरिवर्तित करवाये गैरसायल सं. 3 व 4 के साथ मिलकर, निर्माणात करवाकर, खुर्द बुर्द किया जा रहा है, जिसके संबंध में सायलान को दिनांक 02.06.2022 को जैसे ही पता चला तो सायलान द्वारा गैरसायलान सं. 1 लगायत 4 को भूमि मुतजिक्रा मद न0 2 प्रार्थना पत्र को कृषि से अकृषि में परिवर्तित करने का कारण पूछा एव भूमि पर मौजूदा अवैध निर्माण को हटाने के लिये कहा तो गेरसायल सं. 1 लगायत 4 ने भूमि 2465 पर किये अवैध निर्माण को हटाने से इंकार कर दिया, एवं गैरसायल सं. 1 व 2 द्वारा भूमि मुतजिक्रा मद न0 2 प्रार्थना पत्र का विधिवत बंटवारा करवाने से भी इंकार कद दिया है।

गैरसायल सं. 1 व 2 द्वारा गैरसायल सं. 3 व 4 के साथ मिलकर आराजी मुतजिक्रा मद न0 2 प्रार्थना पत्र में से भूमि खसरा न0 2465 के कुछ स्पेसिफिक भाग को बगैर भूमि संपरिवर्तित करवाये निर्माणात करवाकर [illegible] दिनांक 02.06.2022 को गेरसायल न0 1 ता 4 ने भूमि खसरा न0 2465 पर किये गये अवैध निर्माण को हटाने से इंकार कर दिया है एवं सायलान को काश्त करने में अवरोध/व्यवधान पैदा करने की स्पष्ट धमकी दी है। यदि गैरसायलान अपने उक्त गैरकानूनी मंसूबे में कामयाब हो गये तो सायलान को अपूर्तिनीय क्षति होगी, जिसकी पूर्ति द्रव्य में भी संभव नहीं है। इस कारण गैरसायालन को जरिये आदेशात्मक अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना कानूनन न्यायसंगत है। पाबंद न करने

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.07 15:43:12 IST
Reason: SelfAttested

की सूरत में सायलान को भारी हकतलफी होगी एवं सायलान का दावा पेश करने का मकसद ही फौत हो जावेगा। गैरसायलान को पाबंद किया जाने से उन्हें किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं है। सुविधा का संतुलन भी सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है।

प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा सायलान स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायलान को दौराने दावा जरिये आदेशात्मक अस्थायी निषेधाज्ञा इस अम्र पाबंद करने का निवेदन किया है कि वह आराजी हाल खसरा न0 2455 रकबा 0.17 है0, 2465 रकबा 0.52 है0 2484 रकबा 0.26 है0, 2485 रकबा 0.07 है, 2486 रकबा 0.35 है0, 2488/3024 रकबा 0.28 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 1.65 है0 वाके ग्राम बरगंमा तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली में बाहमी बंटवारे दिनांक 05.10.2003 के अनुरूप सायालन के 1/2 हिस्से के उपयोग उपभोग व कब्जे काश्त में सायलान को कोई अवरोध या व्यवधान स्वयं या अपने प्रतिनिधि के जरिये पैदा नहीं करे, संयुक्त आराजी का विधिवत बंटवारा करवाये बिना आराजी के किसी विशिष्ट भाग को किसी भी से करवावे, कोई निर्माण नहीं करे, भूमि को खुर्द बुर्द कर कृषि से अकृषि कार्य में परिवर्तित नहीं करे, गैरसायालन ऐसा कोई कृत्य नहीं करने जिससे सायलान को उक्त आराजी में मौजूदा हिस्से में फसल काश्त करने उपयोग उपभोग करने में कोई अवरोध या व्यवधान पैदा हो। खसरा न0 2465 पर बिना भूमि संपरिवर्तित करवाये किये गये अवैध निर्माण को गैरसायलान के खर्चे पर हटवाया जावे। वसूरत सायलान के खर्चे पर हटवाया जाकर खर्चा गेरसायालान से वसूल कर सायलान को दिलवाया जावे एवं भविष्य में अवैध निर्माण नहीं करने हेतु गैरसायालान को जरिये आदेशात्मक निषेधाज्ञा पाबंद करने का निवेदन किया गया। गैरसायल न0 5 को भी जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद करने का निवेदन किया गया कि वह दौराने दावा वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में गैरसायल न. 1 लगायत 4 द्वारा आपस में साज कर प्रस्तुत किये गये किसी भी अंतरण दस्तावेज को पंजीकृत नहीं करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं होने पर गैरसायलान 1 ता 5 के विरूद्ध आदेशिका दिनांक 02.08.2022 द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति लिखावट बटवारा पत्र दिनांक 05.10.2003, नकल जमाबन्दी संवत 2073–76, गिरदावरी संवत् 2077, ऑनलाइन नक्शा ट्रैस पेश किये है।

सायलान वकील उपस्थित। सायल[illegible] की बहस सुनी गई। वकील सायलान ने प्रार्थना पत्र में वर्णित [illegible] प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.07 15:43:12 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में एकपक्षीय सायलान वकील [illegible] बहस पर मनन किया पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड गिरदावरी संवत 2077 एवं जमाबन्दी संवत 2073–76 खाता संख्या 566 खसरा नं0 2455, 2465, 2484, 2485, 2486, 2488/3024 वाके ग्राम बरगंमा तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली का अवलोकन किया गया तो हम इस नतीजे पर पहुंचे कि संयुक्त

खातेदारी की भूमि पर समस्त अंशधारी खातेदार पूर्णभूमि पर काबिज होते हैं तथा सायलान की दौराने दावा पेचिदगियाँ पैदा नहीं हो, मौके की स्थिति में परिवर्तन एवं अनावश्यक वादकरण बढ़ने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण में दिनांक 03.08.2022 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल दावे के तस्फिया होने तक स्वीकार किया जाता है कि उभयपक्ष विवादित आराजी की मौका एवं रिकॉर्ड की स्थिति तस्फिया बनाये रखें।

आदेश आज दिनांक 05.07.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.07 15:43:12 IST
Reason: SelfAttested